फर्द अहकाम

मोहन बनाम जगदीश वगै०

न्यायालय ACM Chomu

संख्या T.I.-15/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/7/24	प्रार्थी उपस्थित। बहस T.I. सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर गौर किया गया। प्रार्थी के पक्ष में अमुतनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन साबित नहीं होता है अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है पत्रावली रूल बाबत दाखिल दफ्तर हो। (ह) सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	